न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 36/19 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00071

उनवान

1. उर्मिला पत्नी स्व. अमरसिंह जाति जाट निवासी लखनुपर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. शशि पत्नी विनोद पुत्री अमरसिंह
3. सीमा पत्नी अरजेशी पुत्री अमरसिंह
   जाति जाट निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी पुरा पोस्ट मगोर्रा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा (उ.प्र.)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. लज्जा पुत्री किशन पत्नी सोहनलाल–मृतक
   1/1 सोहनलाल पुत्र सोरन जाति जाट निवासी महरावर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई
4. प्रकाश
5. जयराम
6. विक्रम

   पुत्रगण अमरसिंह जाति जाट निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

7. मन्जू बेवा वीरीसिंह
8. इन्द्रवती पत्नी प्रकाश
9. जगदीश पुत्र अमरसिंह

   जाति जाट निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

10. जगवीरा पत्नी मुरारी
11. रामवती पत्नी प्रताप

    जाति गडरिया निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 14/2012 बउनवानी उर्मिला बनाम लज्जा आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2017 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 श्री सुगड़ सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 08.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा मु.स. 14/2012 बउनवानी उर्मिला बनाम लज्जा आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2017, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1195 रकबा 0.20, 1196 रकबा 1.26 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई में स्थित आराजी के 65/219 हिस्से पर वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 4 व 5 सहखातेदार की तरह काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदार इन्द्राज चले आ रहे हैं। जिसके कारण प्रतिवादी सं. 1 ने वादिनी को धमकी दी कि खसरा नम्बर 1195/0.20, 1196/1.26 वाके लखनपुर तहसील नदबई के 65/219 हिस्से पर उसके नाम इन्द्राजात खातेदारी चले आ रहे हैं। उसी आधार पर प्रतिवादी सं. 2 व 3 से साज कर किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय कर देगें तथा मौके की स्थिति को बदलवाकर रहेगें। इसी कारण अपीलार्थी/वादिनी ने न्यायालय तहत में दावा पेश कर निवेदन किया कि वादिनी व तरतीवी प्रतिवादी सं. 4 व 5 को विवादित आराजी 1195, 1196 वाके लखनपुर के 65/219 हिस्से पर बाहिस्सा बराबर खातेदार व काबिज किया जावे एवं ताहाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। तद्उपरान्त उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.03.2017 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगड़ सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी विवादित खसरा नम्बरान 1195/0.20, 1196/1.26 कुल 2 रकबा 1.46 हैक्टेयर वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई के 65/219 हिस्से के अपीलार्थी खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है शेष हिस्से पर उत्तरवादीगण सख्या 4 से 11 अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार काबिज है इन्द्राज खातेदारी उत्तरवादिया संख्या 1 स्व. लज्जा के नाम कतई गलत रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें निरस्त नहीं कर खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी वादिनी का दावा केवल खसरा नम्बरान 1195/0.20 व 1196/0.26 के 65/219 हिस्से पर उत्तरवादीगण स्व. लज्जा के नाम अंकित खातेदारी को निरस्त करते हुये अपीलार्थी को इस समस्त हिस्से 65/219 पर समभाग प्रत्येक का खातेदार सह–कृषक घोषित करते हुये उनकी खातेदारी में अंकित कराने हेतु कहा गया था जिसमें उत्तरवादी संख्या 1 से 3 व शेष हिस्से के भागीदार उत्तरवादीगण संख्या 4 से 11 के विरूद्ध उनके न्यायालय में विधिवत तामील होने के पश्चात भी उपस्थित होकर दावे को Contest नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही न्यायालय तहत द्वारा की गयी है अपीलार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपना इकबाल दावा प्रस्तुत किया है इस प्रकार उत्तरवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावे का कोई प्रतिवाद नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादिया निश्चय ही स्वीकार करते हुये डिक्री किया जाना चाहिये था ऐसा नहीं कर खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में कोई विवाद बिन्दु पक्षकारों के बीच नहीं रहा है आदेश 8 नियम 16 सी.पी.सी. के अंदर बिना किसी साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय को वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

स्वीकार करते हुये डिक्री किया जाना चाहिये था। विवादित आराजी एवं अन्य आराजी वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई को इस आराजी के खातेदार काश्तकार किशन से उसके मरणोपरान्त 1/3 हिस्से को अपीलार्थी संख्या 1 से 3 ने 1/3 हिस्सों को स्व. गिर्राजी बेवा किशन ने व 1/3 को स्व. लज्जा पुत्री किशन ने प्राप्त किया है स्व. गिर्राज के मरने पर उसका हिस्सा 1/3 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा को अपीलार्थी ने समभग प्रत्येक एवं 1/4 हिस्सा का स्व. लज्जा ने प्राप्त किया था इस प्रकार स्व. लज्जा के जीवनकाल में विवादित आराजी में अपीलार्थी 1/3 + 3/12 = 7/12 हिस्सा व स्व. लज्जा 1/3 + 1/12 = 5/12 हिस्सा रहा था अब चूंकि लज्जा की भी दिनांक 02.05.2018 को निसंतान मृत्यु हो जाने पर धारा 15 (2) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिमय के प्रावधानों के अनुसार उक्त 5/12 हिस्से को भी अपीलार्थी ने समभाग प्रत्येक उत्तरवादी से प्राप्त कर लिया है इसलिये उक्त हिस्सा 65/219 के अब अपीलार्थी समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। जो 65/219 हिस्सा को शेष हिस्सा इस आराजी में उन पर उत्तरवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है उनके हिस्से से अपीलार्थीगण का कोई लेना देना नहीं और दूसरी तरफ अपीलार्थीगण के हिस्से 65/219 से उत्तरवादीगण का कोई लेना देना शेष नहीं हैं इसलिये ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये थे अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के अभिवचनों व वाद की विषयवस्तु से हटकर खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री देने में भारी त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि प्रार्थीगण को प्रथम तो न्यायालय तहत के निर्णय व डिक्री की कोई सूचना उनके अधिवक्ता श्री लक्ष्मनसिंह द्वारा नहीं दी गयी दूसरे प्रार्थीगण ग्रामीण देहात की बिना पढ़ी लिखी औरते हैं उन्हें इस दावे के निर्णय होने की कोई जानकारी नहीं हो सकी थी। अब जब लज्जा के मरने के वाद उसके पति सोहनलाल ने एक दावा दिनांक 04.06.2019 को प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय तहत में प्रस्तुत किया है और उसमें उनके विरूद्ध एकपक्षीय टी. आई. जारी कराया है जिसकी जानकारी स्वयं सोहनलाल ने दिनांक 08.06.2019 को गांव लखनपुर आकर खुले आम कहने पर प्रार्थीगण को हुई है तब प्रार्थीगण न्यायालय तहत मे पहुँचे तब अपने पूर्व अधिवक्ता श्री लक्ष्मनसिंह ने दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2017 के बारे में भी बताया है और नकल हेतु आवेदन कराया है जिस पर दिनांक 11.06.2019 को निर्णय व डिक्री तहत की नकल मिली है और निर्णय व डिक्री तहत की वास्तविक जानकारी हुई जानकारी होने के दिन से यह अपील अंदर अवधि पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जावे और अपील को अवधि अंदर शुमार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 06.03.2017 निरस्त किया जावे तथा दावा अपीलार्थीगण/वादिनी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किया जावे। विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई पर रेस्पोडेन्ट अपनी पत्नी लज्जा के साथ एवं अपनी पत्नी के मरणोपरान्त से उक्त विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। विवादित आराजी पुश्तैनी है। अपीलान्ट्स उक्त विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कराकर रहन–वय–मुन्तकिल करने के प्रयास में थे तथा मृतक लज्जा पत्नी सोहनलाल का वारिस न होते हुए भी अपने नाम इन्द्राजात खातेदारी गलत तरीके से कराने के प्रयास में थे। अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट्स विवादित आराजी के बाहिस्सा बराबर 65/219 के खातेदार काश्तकार है। समस्त दस्तावेजी साक्ष्य में किशन का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा अपीलान्ट्स ने ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे स्पष्ट होता हो कि लज्जा द्वारा उक्त विवादित आराजी का विक्रय कब और किसके लिए किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पेश सजरा मुताबिक लज्जा किशन की पुत्री थी तथा 1/2 हिस्सा अर्थात कुल आराजीयात के 1/4 हिस्से के अधिकारी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय विधिसम्मत रुप से निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2017 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 13.06.2019 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया अपीलान्ट सं. 1 द्वारा पेश वाद का विचारण प्रक्रियात्मक कानून की पालना करते हुए नहीं किया है। पत्रावली पर वादी साक्ष्य के रुप में उपलब्ध वादिनी उर्मिला का शपथ–पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा सशपथ नहीं किया गया है एवं जिन दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किया है वे इस शपथ–पत्र के आधार पर ही अंकित किए गए हैं लेकिन शपथ–पत्र सशपथ नहीं होने से उन दस्तावेजात पर अंकित प्रदर्श भी विधिवत नहीं माने जा सकते हैं। साथ ही जमाबन्दी ग्राम लखनपुर सम्वत 2066–2069 पर EXP-1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 ग्राम लखनपुर पर EXP-2 जमाबन्दी संवत 2044–2047 ग्राम लखनपुर EXP-3 एवं जमाबंदी संवत 2048–51 पर EXP-4 अंकित है लेकिन पीठासीन अधिकारी के आद्याक्षर (Initials) अंकित नहीं है। वादी साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश होने पर उस पर प्रतिवादी द्वारा जिरह आवश्यक है एवं अगर प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी है तो वादी साक्ष्य के रुप में पेश शपथ–पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष सशपथ होकर वादी द्वारा पेश दस्तावेजात पर विधिवत रुप से प्रदर्श अंकित कर पीठासीन अधिकारी के आद्याक्षर अंकित किए जाने आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्रावली एवं निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह भी जाहिर आता है कि दिनांक 01.02.2017 को वाद प्रकरण में बहस सुनी गयी है एवं पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.02.2017 को नियत की गयी। आदेशिका दिनांक 14.02.2017 के अनुसार वकील वादी रिकार्ड और पेश करना चाहते हैं, अतः आगामी तारीख पेशी से पूर्व रिकार्ड पेश करें, वास्ते आदेश दिनांक 22.02.2017 को पेश हो, अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 22.02.2017 को पीठासीन अधिकारी द्वारा मार्कशुदा फार्म नं. 3 के साथ सत्यप्रति नामान्तरकरण सं. 147, 694 व 544 पेश की गयी है जो पत्रावली पर लूज रखी गयी है। ये दस्तावेजात बहस के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में बिना प्रार्थना–पत्र पेश किए हैं दिनांक 14.02.2017 की आदेशिका अनुसार वादी वकील के मौखिक कथन के आधार पर ही दस्तावेजात पेश करने की अनुमति प्रदान कर दी जबकि बहस के उपरान्त कोई भी प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य/ग्रहण योग्य नहीं होता है। साथ ही इन दस्तावेजात को जैर अपील निर्णय में साक्ष्य में भी पढ़ लिया जो विधिसम्मत नहीं है। चूंकि शपथ–पत्र पेश करने से लेकर दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित करने में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक कानून की पालना नहीं की है। इसलिए विधिवत रुप से वाद का पुनर्विचारण (Re-trial) हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2017 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार प्रक्रियात्मक कानून की पालना करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य–सबूत लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष दिनांक 13.07.2026 को पेश होवें।
11. निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर